कार्यालय नगरपालिका परिषद् जांजगीर–नैला, जिला जांजगीर चांपा छ.ग.

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत बनाये गये मैनुअल की सूचना

क्र	मैनुअल	सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	जनसूचना अधिकारी उपअभियंता श्री सुशील सोनी नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग. शासन के आदेशो एवं निर्देशों के अनुरूप निकाय से संबंधित कार्य करती है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्ति और कर्तव्य	भारत सरकार/राज्य शासन के अंतर्गत निहित है, एवं प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले समस्त कार्यो का अनुश्रवण शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	नगरीय प्रशासन एवं कार्यालय प्रमुख से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य करते है एवं अभिलेखों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रो में चाही गई सूचना उपलब्ध करायी जाती है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं स्थापित मापदण्ड	शासन/प्रशासन/कार्यालय द्वारा सौंपे गये कार्यो को समयबद्ध रूप से किया जाता है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीनधारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	नगरीय निकायों संबंधी कार्यो के संबध में शासन द्वारा जारी नियम अनुदेश निर्देशिका प्राप्त होने पर अनुपालन किया जाता है कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियम, विनियम एवं अनुदेश लागू होते है।
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों आदि जिनका विवरण राज्य शासन की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in पर उपलब्ध है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।	राज्य शासन /नगरीय प्रशासन के निर्देशों के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यो में जनता एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाता है।
8	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देन के प्रयोजन के लिये गइन किया जाता है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण	निकाय स्तर पर परिषद् एवं पी.आई.सी. का गठन किया गया है। जिसकी बैठके क्रमशः 02 माह व 01 माह के अंतराल में की जाती है। उक्त बैठकों की जानकारी अवलोकन हेतु जनता के लिये खुला हुआ है।

9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	सिविल सेवा आचरण संहिता – 1965 तथा शासन व नगरीय प्रशासन द्वारा प्राप्त निर्देशो के अनुरूप कार्य किये जाते है।
10	अपेन प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके निनियमों में यथा उपबंधित हों	–
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिटियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	केन्द्र शासन द्वारा नगरपालिका परिषद् जांजगीर–नैला से विभिन्न कार्यो योजनाओं के तहत् राशि आबंटन किया जाता है।
12	सहायिकी कार्य{मों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्मिलित है।	निकाय अंतर्गत विभिन्न पेंशन, योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहयों को पेंशन लाभ दिया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिटियां	–
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध में व्यौरें जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	राज्य शासन की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं निकाय का ई मेल janjgirnailacmo@gmail.com पर उपलब्ध है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियें जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यक्रम घंटे सम्मिलित है।	नगरपालिका परिषद् में लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित नही है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां	प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री दिनेश कोसरिया मु.न.पा. अधि.न.पा.प. जांजगीर–नैला, जनसूचना अधिकारी– श्री सुशील सोनी उपअभियंता न.पा.प. जांजगीर–नैला
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये	यथा समय–समय पर अपडेट किया जावेगा।

उपअभियंता
नगरपालिका परिषद् जांजगीर–नैला

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् जांजगीर–नैला